

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

कै-रीडर/ 2022/ 229

मुकदमा नंबर 230/2021

दिनांक :- 29/8/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. भोमाराम पुत्र मगाराम 2. हेमाराम पुत्र सताराम जाति निवासीयान चौकडियो की ढाणी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।	1. गंगाराम पुत्र लाखाराम 2. गोमाराम पुत्र दुर्गाराम 3. पनाराम पुत्र दुर्गाराम 4. भलाराम पुत्र ऊमाराम 5. सताराम पुत्र ऊमाराम 6. पुरोदेवी पत्नी सोनाराम 7. भवरीदेवी पत्नी लालाराम 8. लालाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट सभी निवासीयान बोटाल पुरोहितान तह0 पचपदरा 9. मानाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी बालोतरा 10. भगाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट नि0 गोल सोढा तह0 पचपदरा 11. आईदानरात पूत्र पुनमाराम 12. इन्दाराम पुत्र पुनमाराम 13. किशनाराम पुत्र मगाराम 14. नवलाराम पुत्र मगाराम 15. भट्टाराम पुत्र वेहनाराम जाति जाट नाबालिंग जरीये कुदरती वलिया माता माडुदेवी बेवा वेहनाराम जाति जाट 16. माडुदेवी बेवा वेहनाराम 17. अणसी पुत्र मगाराम 18. चिमराम पुत्र मगाराम सभी जातियान जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन तह0 पचपदरा 19. जेहाराम पुत्र मगाराम 20. डालूराम पुत्र कलाराम 21. मांडुराम पुत्र कलाराम 22. रामाराम पुत्र कलाराम 23. रायचन्द पुत्र मगाराम जाति जाट सभी निवासीयान चौकडियों की ढाणी तह0 पचपदरा 24. दौलाराम पुत्र प्रहलाद 25. पाबुराम पुत्र प्रहलाद 26. गंगादेवी पत्नी प्रहलाद 27. मोटाराम पुत्र मगाराम 28. रामाराम पुत्र प्रहलाद जाति जाट सभी निवासीयान भीमरलाई स्टेशन तह0 पचपदरा जिला बाडमेर। 29. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।	



आदेश

दिनांक :- 29.8.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा चौकडियों की ढाणी पटवारी क्षेत्र गोल भू-निरीक्षक क्षेत्र दूधवा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 12 रकबा 33.0547 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मददेनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावें कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा  
(SD)

दिनांक :- 29/8/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 180

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी  
(SD)